

कृषि निदेशालय, बिहार

पत्र संख्या-06/स्था0अन्य-44/2016

कृ०, पटना, दिनांक

2016

प्रेषक,

प्रभु राम,
निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव।

सेवा में,

संयुक्त निदेशक (शष्य),
मुजफ्फरपुर।

विषय:-

सी०डब्लू०जे०सी० नं०-17236/2015 अनिल कुमार सिन्हा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 28.01.2016 को पारित न्यायादेश के आलोक में सुनवाई।

प्रसंग:-

वित्त विभाग के ज्ञापांक-3ए-1-मुकदमा-52/2016-3180 दिनांक 21.04.16

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासांगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना है कि सी०डब्लू०जे०सी० नं०-17236/2015 अनिल कुमार सिन्हा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 28.01.2016 को पारित न्यायादेश के आलोक में दिनांक 29.04.2016 को 10:00 बजे पूर्वाह्न में सुनवाई निर्धारित है।

अतः उक्त निर्धारित तिथि एवं समय की सूचना वादी को सूचित करने के साथ-साथ संबंधित कागजातों/अभिलेखों के साथ वित्त विभाग में उपस्थित होकर विभाग का पक्ष रखें।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(प्रभु राम)

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव

पत्रांक-

कृ०, पटना, दिनांक-....., 2016

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग के ज्ञापांक-3ए-1-मुकदमा-52/2016-3180 दिनांक 21.04.16 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव

पत्रांक- 364

कृ०, पटना, दिनांक- 26/4/2016

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग को कृषि विभाग के ई-मेल पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव।

गोस्ट

ज्ञापांक-3ए-1-मुकदमा-52/2016-...../वि०

बिहार सरकार
वित्त विभाग।

प्रेषित,

1. श्री अनिल कुमार सिन्हा, पिता का नाम स्व० पारस नाथ सिंह, निदेशक कोषागार, मुहल्ला-पंखाटोली, पो०-रमना, थाना- काजी मोहम्मदपुर, प्रखंड- मुशहरी, जिला-मुजफ्फरपुर।
2. श्री ब्रजदेव चौधरी, पिता का नाम- स्व० कुलदीप चौधरी, * मुहल्ला- मिठनपुरा, शिव शंकर पथ, पो०-रमना, थाना- मिठनपुरा, प्रखंड- मुशहरी, जिला-मुजफ्फरपुर।



पटना, दिनांक :

विषय :-

C.W.J.C. No.- 17236/2015 अनिल कुमार सिन्हा एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक-28-1-2016 को पारित न्यायादेश के आलोक में सुनवाई।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित करना है कि न्यायादेश के आलोक में मामले की सुनवाई दिनांक- 29/04/2016 को 10 बजे पूर्वाह्न में प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय कक्ष जो पुरानी सचिवालय में अवस्थित है, में होगी।

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि अपने दावे के संदर्भ में कारण-पृच्छा के साथ निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखे। अन्यथा समझा जाएगा कि आपकी कुछ नहीं कहना है एवं मामले का निष्पादन एकपक्षीय कर दिया जाएगा।

H0/-

(मदन मोहन प्रसाद)

निदेशक (अन्वेषण)।

ज्ञापांक-3ए-1-मुकदमा-52/2016-

3180-190

पटना, दिनांक- 21/4/16

प्रतिलिपि- निदेशक, कृषि विभाग, बिहार, पटना / संयुक्त निदेशक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि सुनवाई की निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर सम्बन्धित कागजातों के साथ निश्चित रूप में उपस्थित होने की कृपा की जाय।

(मदन मोहन प्रसाद)
निदेशक (अन्वेषण)।

(मदन मोहन प्रसाद)

निदेशक (अन्वेषण)।